

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प
घाणामगरा

वादी

बनाम


प्रतिवादी

प्रदीप चौधरी

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-145/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
12.11.2021	<p>प्रार्थी प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प घाणामगरा में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 423/3 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423/4 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.7798 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता रामदीन पुत्र दुदाराम जाट की थी। रामदीन का देहान्त 15 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 10.01.2008 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम प्रदीप चौधरी के बजाय मोडाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रदीप चौधरी है तथा सरकारी दस्तावेज भी प्रदीप चौधरी के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में मोडाराम पुत्र रामदीन के स्थान पर प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी प्रदीप चौधरी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी प्रदीप चौधरी का आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि पेश किये है। वादो ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 कोजाराम पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी घाणामगरा के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार</p>	

बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मोडाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम प्रदीप चौधरी के बजाय मोडाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी

का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 423/3 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423/4 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.7798 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मोडाराम पुत्र रामदीन के स्थान पर **प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन** जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम घाणामगरा में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प घाणामगरा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 145/2021

निर्णय

दिनांक :- 12.11..

2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे'ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 423/3 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423/4 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.7798 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मोडाराम पुत्र रामदीन के स्थान पर **प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन** जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिंग — बाबत् —

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		

महनताना वकौल			खर्चा गवाहान		
फीस कभि"नर			फीस कभि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा